


राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राज0, जयपुर

क्रमांक:- प.5 (25-ए) आकृ/कृ.सू/कृ.अ./2018-19/ 41 दिनांक:-03.4.2018

साहित्य मुद्रण हेतु शुद्धिपत्र

कृषि साहित्य मुद्रण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक प.5 (25-ए) आ.कृ/कृ.सू/कृ.अ./2017-18/4967 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा आमंत्रित ऑन लाइन ई-बोली के संबंध में जारी किया गया शुद्धिपत्र क्रमांक 19 दिनांक 03.04.2018 को निरस्त करते हुये ई-बोली के वित्तीय बोली प्रपत्र के क्र.सं. 8 (BOQ क्र.सं. 140) में कलेण्डर की सात लीफ डबल साईड प्रिंटिंग पढ़ा जावे व क्र.सं. 9 (BOQ क्र.सं. 144) पर कलेण्डर की तेरह लीफ डबल साईड प्रिंटिंग पढ़ा जावे तथा बोली प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 04.04.2018 के स्थान पर दिनांक 12.04.2018 सायं 6.00 बजे तक बढ़ायी जाती है। तकनीकी बोली दिनांक 13.04.2018 को मध्यान्ह पश्चात् 2.30 बजे खोली जायेगी। बोली की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।


आयुक्त, कृषि